

ख  
न

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए

16.5.18 फ़ाक़्तु रजिस्टर लॉक के फ़िलाले  
वादी उपरी 18/1/18 का ना पेशा हुए  
प्रतिवादी उपरी

खैरतशाह

बाद वादी स्वीकार  
किया जाना है / विस्तृत निवेदन  
प्रत्येक से लिखा जाये / प्रमाण  
संलग्न किया जाये / प्रमाण  
पेशा प्रकार होकर ही कार्य  
कत है।

मैराम

S D O देसूरी

उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी (पाली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज. केम्प कोर्ट आना

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 61/2017

दायर तिथि :- 07.12.2017

निर्णय दिनांक :- 16.05.2018

वादी :-

1. खरताराम पुत्र वगतारामजी  
जाति-सिरवी, निवासी-सारंगवास  
तहसील-देसूरी, जिला-पाली, राजस्थान

**ब न अ म**

प्रतिवादीगण :-

1. मोटाराम पुत्र वगतारामजी
2. ओगडराम पुत्र वगतारामजी
3. मृत तीजो पुत्री वगतारामजी के वारिसान  
3/1. रम्बा पुत्री तीजो पत्नि देवाजी निवासी नीपल
4. मोनकी पुत्री वगतारामजी
5. असकी पुत्री वगतारामजी
6. समाराम पुत्र लालारामजी
7. जतुबाई बेवा लालारामजी
8. उदा पुत्र जेठाजी  
जातिगण-सिरवी, निवासीगण-सारंगवास  
तहसील-देसूरी, जिला-पाली, राजस्थान
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955

-: निर्णय :-

दिनांक :-16.05.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट आना प्रस्तुत हुई। पक्षकारान वादी खरताराम उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 1 मोटाराम उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान वादी व प्रतिवादी को सुना गया। प्रस्तुत वाद कृषि भूमि विभाजन से संबंधित है एवं राजस्व रेकार्ड में हिस्से के अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के लिये वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर वाद डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त की गई। अन्य प्रतिवादीगणों के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 25.01.2018 को पारित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान को बाद सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा सारंगवास के वर्तमान ख.सं. 29, 33, 34, 44, 47 कुल रकबा 2.60 हेक्टर किस्म बा.अ., गे.मु. रास्ता में वादी का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 मोटाराम का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ओगडराम का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 तीजो के वारिसान का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 मोनकी का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 असकी का 1/24, प्रतिवादी संख्या 6 समाराम का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 जतुबाई का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 उदाराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादी ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का निवेदन किया है।

पेज लगातार 2 पर...



उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी

धारित हिस्सों के अनुरूप विभाजन का वाद स्वीकार किये जाने में कोई बाधा नहीं है। तथा वादी का भाई प्रतिवादी संख्या 1 भी सहमत है तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पूर्व में पारित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा सारंगवास के वर्तमान ख.सं. 29, 33, 34, 44, 47 कुल रकबा 2.60 हेक्टर किस्म बा.अ., गे.मु. रास्ता में वादी का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 मोटाराम का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ओगडराम का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 तीजो के वारिसान का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 मोनकी का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 असकी का 1/24, प्रतिवादी संख्या 6 समाराम का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 जतुबाई का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 उदाराम का 1/2 हिस्सा का विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के अनुरूप पक्षकारान के मध्य विभाजन कर रास्तों इत्यादि की सुविधा रखते हुये अलग-अलग खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, किस्म, लगान वर्णित कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम की जावें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का आना को भिजवाई जावें। डिक्री परचा जारी किया जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को केम्प कोर्ट आना में सुनाया गया।



क्रमांक / रीडर / 2018 /  
प्रतिलिपि :- पालनार्थ।

1. तहसीलदार देसूरी
2. पटवारी हल्का आना।

(राजेश मेवाडा)

उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी

दिनांक :- 16.05.2018

उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी  
शिविर - आना

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.

वादी :-

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 61/2017

दायर तिथि :- 07.12.2017

निर्णय दिनांक :- 16.05.2018

वादी :-

1. खरताराम पुत्र वगतारामजी  
जाति-सिरवी, निवासी-सारंगवास  
तहसील-देसूरी, जिला-पाली, राजस्थान

ब न अ म

प्रतिवादीगण :-

1. मोटाराम पुत्र वगतारामजी
2. ओगडराम पुत्र वगतारामजी
3. मृत तीजो पुत्री वगतारामजी के वारिसान  
3/1. रम्बा पुत्री तीजो पत्नि देवाजी निवासी नीपल
4. मोनकी पुत्री वगतारामजी
5. असकी पुत्री वगतारामजी
6. समाराम पुत्र लालारामजी
7. जतुबाई बेवा लालारामजी
8. उदा पुत्र जेठाजी  
जातिगण-सिरवी, निवासीगण-सारंगवास  
तहसील-देसूरी, जिला-पाली, राजस्थान
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत 53, 188, 92ए राज.काश्त. अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :- 61/2017

निर्णय दिनांक :- 16.05.2018

वादीगण की ओर से वादी उपस्थित व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादीगण संख्या 1 उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 16.05.2018 को (नाम पीठासीन अधिकारी) राजेश मेवाडा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा सारंगवास के वर्तमान ख.सं. 29, 33, 34, 44, 47 कुल रकबा 2.60 हेक्टर किस्म बा.अ., गे.मु. रास्ता में वादी का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 मोटाराम का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ओगडराम का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 तीजो के वारिसान का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 मोनकी का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 असकी का 1/24, प्रतिवादी संख्या 6 समाराम का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 जतुबाई का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 उदाराम का 1/2 हिस्सा का विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के अनुरूप पक्षकारान के मध्य विभाजन कर रास्तों इत्यादि की सुविधा रखते हुये अलग-अलग खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, किस्म, लगान वर्णित कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम की जावें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का आना को भिजवाई जावें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह मई सन् 2018 को जारी किया गया।

मोहर



(राजेश मेवाडा)

उपखण्ड अधिकारी

राजस्थान